विविध **बैंक प्रकरण संख्या 59/2021(GCMS : 2021/175) पंजाब नेशनल बैंक, मीरा चौक, श्रीगंगानगर** बनाम **1. मैसर्स अशोक पेन्टर–प्रो. श्रीमती सुमन वर्मा पत्नी श्री धनराज निवासी मुख्य रोड़, नजदीक उत्सव पैलेस, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.02.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स अशोक पेन्टर – प्रो. सुमन वर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 12.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये बारह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 21.05.2016 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुमन वर्मा द्वारा अपना दृष्टि बंधक रखा गया Pixel Jet 3304 L Proton Printer, Size 4.5mX .920m X1.8m (4500X920X1800mm) एवं रिहायशी सम्पत्ति किल्ला नं. 7 का भाग, मुरब्बा नं. 80/34, चक 20 बीबी द्वितीय, नदजीक उत्सव पैलेस, रायसिंहनगर–पदमपुर रोड, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.03.2021 को 10,69,337/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का मांग नोटिस दिनांक 08.06.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस का उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है **इसके बावजूद भी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी सुमन वर्मा **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखा गया Pixel Jet 3304 L Proton Printer, Size 4.5mX.920mX1.8m (4500X920X1800mm) एवं रिहायशी सम्पत्ति किल्ला नं. 7 का भाग, मुरब्बा नं. 80/34, चक 20 बीबी द्वितीय, नदजीक उत्सव पैलेस, रायसिंहनगर–पदमपुर रोड, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मै. अशोक पेन्टर – प्रो. सुमन वर्मा** को 12.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये बारह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.05.2016 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी सुमन वर्मा **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा गया** Pixel Jet 3304 L Proton Printer, Size 4.5mX.920mX1.8m(4500X920X1800mm) एवं रिहायशी सम्पत्ति किल्ला नं. 7 का भाग, मुरब्बा नं. 80/34, चक 20 बीबी द्वितीय, नदजीक उत्सव पैलेस, रायसिंहनगर– पदमपुर रोड, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 03.06.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11.06.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की ऑनलाईन ट्रेक की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला रजिस्ट्रार
श्रीगंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी सुमन वर्मा **की दृष्टि रखा गया** Pixel Jet 3304 L Proton Printer, Size 4.5mX.920mX1.8m (4500X920X1800mm) एवं रिहायशी सम्पत्ति किल्ला नं. 7 का भाग, मुरब्बा नं. 80/34, चक 20 बीबी द्वितीय, नदजीक उत्सव पैलेस, रायसिंहनगर–पदमपुर रोड, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 03.06.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 03.06.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी मै. अशोक पेन्टर एवं प्रो. सुमन वर्मा को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11.06.2026 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **अप्रार्थी मै. अशोका पेन्टर – प्रो. सुमन वर्मा** के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखा गया Pixel Jet 3304 L Proton Printer, Size 4.5mX.920mX1.8m (4500X920X1800mm) एवं रिहायशी सम्पत्ति किल्ला नं. 7 का भाग, मुंरब्बा नं. 80/34, चक 20 बीबी द्वितीय, नदजीक उत्सव पैलेस, रायसिंहनगर–पदमपुर रोड, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2[illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.11 13:07:20 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर